No. 5/3/2018-E-I/520 Government of India Central Water Commission`

Room No. 305(S), Sewa Bhawan, New Delhi 110066 R.K. Puram, Dated: the 2nd Abril, 2018

CIRCULAR

Sub: Filling up the post of General Manager on deputation basis(including short term contract) in Brahmaputra Board, Guwahati.

Ministry of Water Resources, RD & GR have invited applications from eligible and suitable candidates to fill up the post of General Manager in the pay band-4 of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 10000/-(pre-revised) on deputation basis (including short term contract) in Brahmaputra Board, Guwahati. Details of the post, eligibility conditions etc. are mentioned in the letter enclosed. The details of advertisement and the application forms can be downloaded from the Ministry's website (www.wrmin.nic.in).

Applications complete in all respects of willing and eligible officers may be sent through proper channel to Estt.-I Section in CWC within 15 days from the date of issue of this Circular. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not exceed 56 years on the closing date of receipt of application.

Additionally, officers willing to submit their application must ensure that their updated Bio-Data is available on CWC website.

> (S.K. Nanda) **Under Secretary**

Copy to:

- All SAG/JAG officers of CWC. 1.
- Uploading on the website of CWC. 2.

सं. ए.12026/1/2017-ई.-।।।

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांवधिक निकाय-ब्रह्मपृत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्कालीन संविदा सहित) पर पे- बैंड-4, 37400-67000/-रूपये + ग्रेड वेतन 10000/- रूपये (छठे वेतन आयोग का वेतनमान) में महाप्रबंधक का 01 (एक) पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

कार्य के संक्षिप्तदायित्व

महाप्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बोर्ड के कार्यों के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने मातहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की इ्यूटी निर्धारित करेगा और उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों को समन्वित करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का प्रयोग और इ्यूटियों का निर्वाह भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाएंगी और जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। महाप्रबंधक, बजट और आंबंटन अथवा अनुदानों का पुनः संबंधी मामलों में, ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, विनियोग 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और इ्यूटियों का भी निर्वाह करेगा।

पात्रता मानदंड

केन्द्र सरकार अथवा राज्यसरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्साप्राप्तअनुसंधान संस्थओं अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी, जो:

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हो; अथवा

(ii) ग्रेड में वेतन बैंड4- में क्रमशः रूपए अथवा 8700 रूपए के ग्रेड 8900 वेतन में अपर मुख्य इंजीनियर अथवा अधीक्षण इंजीनियर के पद पर दो वर्ष अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; औरनिम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में डिग्री; और

(ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव

(iii) अथवा मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतु विस्तृत योजनाएं अथवा सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष

का अनुभँव, (ख) (i) वेतन बैंड-4, 8900 रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो: अथवा

(ii) वेतन बैंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अविधि (अल्कालीन संविदा सहित) सामान्स्या केन्द्र सरकार अथवा गान्य मरकारों के ममान भथवा किमी भन्यमंगठन भथवा विभाग में दम नियक्ति मे तुरंत पहले धारित अन्यसंवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा समेत) सहित, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 5. **आयु-** प्रतिनियुक्ति अथवा अल्कालीन संविदा सहित द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्तहोने की निर्धारित अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 6. इस पद के लिए अभ्यीं की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्तहोने की अंतिम तारीख होगी ।
- 7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यम्क्तकरे।
- 8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थपना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्त आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्पहोगा।
- 9. <u>अनुलग्क-। से V</u> में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, यह परिपत्र जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से <u>60 दिन</u> के अंदर श्री ऐ. के. वाही, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, चौथा तल, कमरा सं. 428-A, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ल-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्तरखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्म सं"आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्येरे के बिना किए गए आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।
- 10. मात्र ऐसे अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत (चार प्रति) (ii) अवर सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) अनुलग्नक-3 में दिए दिए प्रपत्र में सतर्कता स्वीकृति (iv) अनुलग्नक-4 के प्रपत्र के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शास्तिका ब्रोगरा और (v) अनुलग्नक-5 के अनुसार सत्मिष्ठ प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो।
- 11. विज्ञापन का ब्यौरा और आवेदन का प्रारूप मंत्रालय की वेब साइटhtpp://wrmin.nic.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।

(अनिल कुमार वाही) अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक- 1

1.	पद का नाम	: महाप्रबंधक, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, स् निकाय	ांविधिक
2.	पदों की संख्या	: 01 (एक)	
3.	वर्गीकरण	: समूह 'क' अननुसचिवीय	
4	पे बैंद	· ਰੇਸ਼ਜ਼ ਡੈੱਵ-4 37400-67 000 ਨਹ	ए (हक्रे

"	7	•	वेतन आयोग का वेतनमान)
5.	ग्रेड पे	:	10000 रूपए (छठे वेतन आयोग का वेतनमान)
6.	प्रतिनियुक्ति की अवधि		प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्कालीन संविदा सहित) सामान्स्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के समान अथवा किसी अन्यसंगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्यसंवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा समेत) सहित, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7.	पद के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी		महाप्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बोर्ड के कार्यों के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने मातहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करेगा और उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों को समन्वित करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का प्रयोग और ड्यूटियों का निर्वाह भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाएंगी और जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। महाप्रबंधक, बजट और आबंटन अथवा अनुदानों का पुनः संबंधी मामलों में, ब्रहमपुत्र बोर्ड नियमावली, विनियोग 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और इ्यूटियों का भी निर्वाह करेगा।
8.	वेतन एवं भत्ते	·	चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थपना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्स आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्पहोगा।
9.	पद के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव और पात्रता		केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्साप्राप्त अनुसंधान संस्थओं अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी, जो: (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हो; अथवा(ii) ग्रेड में वेतन बैंड-4 में क्रमशः 8900 रूपए अथवा 8700 रूपए के ग्रेड वेतन में अपर मुख्य इंजीनियर अथवा अधीक्षण इंजीनियर के पद पर दो वर्ष अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; और (ख) निम्नतिथित शैक्षिक योग्यता भीर

विश्वविद्यालय सांताल इंजानियर से डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्णादन, प्रचालन और अनुस्रंभण, पर्यावल और अनुस्रंभण, पर्यावल और अनुस्रंभण, पर्यावल और अनुस्रंभण, पर्यावल और अनुभव (iii) अथवा मास्टर प्लान, बाद प्रबंधन, नदी पृशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतु विस्तृत योजनाएं अथवा सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव अथवा (iii) बाद प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों के लिए मास्टर प्लान विस्तृत योजनाएं तैयार करने और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) (i) वेतन बेंड-4, 8900 रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो: अथवा (ii) वेतन बेंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो: अथवा (ii) वेतन बेंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो: अथवा (ii) वेतन बेंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो। विप्णी 1 प्रोन्नित के लिए न्यनतम अहंक सेवा की गणना किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा छठे केन्द्रिय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संगिदित वेतन सर्वाना लागू किए जाने की तारीख से पहले नियमित आधार पर दी गई सेवा का संगत ग्रेड वेतन अथवा उपयुक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा। किसी भी अधिकारी को च्यनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा स्वाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी को नियमित करने वाले प्राधिकारी को नियमित करने जाते प्राधिकारी को नियमित करने जाते प्राधिकारी को नियमित करने वाले प्राधिकारी को नियमित करने आयो जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त आया अस्कालीन संविद्य सहित द्वारा नियमित के लिए अधिकतम आयु सीमा, औदेदन प्राप्त होने की नियमित अधव स्वाप्त होने होने विधित अधवा अत्कालीन संविद्य सहित द्वारा नियमित के लिए अधिकतम आयु सीमा, औदेदन प्राप्त होने की नियमित अधव संवप्त वेत की नियमित आयो सेव सेव की नियमित आयो सेव सेव सेव की नियमित करने होने विधित मित्य सेव की नियमित करने विधाल करने होने विधाल कर	to the same of		100	***
डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, लिष्णादन, प्रचालन और अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव;(iii) अथवा मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतृ विस्तृत योजनाए अथवा सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव अथवा (iii) बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों के लिए मास्टर प्लान विस्तृत योजनाएं तैयार करने और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) (i) वेतन बेंड-4, 8900 रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो; अथवा (iii) वेतन बेंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो; अथवा (iii) वेतन बेंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो। टिप्पी 1. प्रोन्नित के लिए ल्यनतम अर्हक सेवा की गणना किसी अधिकारी दवार 1 जनवरी, 2006 अथवा छठे केन्द्रिय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन सरचना लागू किए जाने की तारीख से पहले नियमित आधार पर दी गई सेवा को संगत ग्रेड वेतन अथवा उपयुक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गण वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा। किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमित नहीं होगी; और यह प्रायोजित कैरने वाले प्राधिकारी को नियमितरी आदे नियमित आदेश जारी किए जाने के एक मीह के अदर जारी को नियमित आदे जारी को लियनित आदेश जारी किए को नेव विन्त आदेश जारी किए को नेव विन्त आदेश जारी को लियनित आदेश जारी के एक मीह के अदर	10.	आयु	:	सहित द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निधौरित अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष
डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव;(iii) अथवा मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतु विस्तृत योजनाएं अथवा सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव अथवा (iii) बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों के लिए मास्टर प्लान विस्तृत योजनाएं तैयार करने और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) (i) वेतन बैंड-4, 8900 रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो; अथवा (ii) वेतन बैंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो। टिप्पी 1. प्रोन्नित के लिए न्यनतम अर्हक सेवा की गणना किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा छठे केन्द्रिय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू किए जाने की तारीख से पहले नियमित आधार पर दो गई सेवा को संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दो गई सेवा को संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए				बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर
डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव;(iii) अथवा मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतु विस्तृत योजनाएं अथवा सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव अथवा (iii) बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों के लिए मास्टर प्लान विस्तृत योजनाएं तैयार करने और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) (i) वेतन बैंड-4, 8900 रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो; अथवा (ii) वेतन बैंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का वाला अखिल भारतीय सेवा का वाला अखिल भारतीय सेवा का				अहेक सेवा की गणना किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा छठे केन्द्रिय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू किए जाने की तारीख से पहले नियमित आधार पर दी गई सेवा को संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए
अनुभव रखता हो- (i) मान्यताप्राप्त				विश्वविद्यालय से सिविल इजीनियर में डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव;(iii) अथवा मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतु विस्तृत योजनाएं अथवा सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव अथवा (iii) बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों के लिए मास्टर प्लान विस्तृत योजनाएं तैयार करने और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) (i) वेतन बैंड-4, 8900 रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो; अथवा (ii) वेतन बैंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा

- 1. नाम और पता (स्ष्टअक्षरों में) टेलीफोन नंबर
- 2. जन्मतिथि (ईसी सन में)
- 3. केन्द्रसरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख
- 4. शैक्षिक योग्सा
- 5. क्य आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्ययोग्साएं रखते हैं । (यदि किसी योग्सा को नियमों में निर्धारित किसी योग्सा के समतुल्यमाना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

अपेक्षित योग्साएं/अनुभव	अधिकारी की योग्साएं/ अनुभव
अनिवार्य	The state of the s
वांछित	

- 6. कृपया आप स्यां द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्षटरूप से उल्लख करें कि क्य आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं
- कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यैयरे (यदि नीचे दिया गया स्थन अपर्याप्त्है तो अपने हस्तक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्नकरें
 ।) :

कार्यालय/	धारित पद	से	तक	वेतन बैंड	कार्य का
संस्थ /संगठन	और सेवा /			में वेतन	स्कप
का नाम	केडर जिससे			और पद	
	यह संबंधित			की श्रेणी	
	है				

- 8. वर्तमान नियुक्ति का स्कप अर्थात
 - (i) तदर्थ
 - (ii) संधई /असंधई आधार पर
 - (iii) वेतन बैंड में वेतन
 - (iv) आहरित ग्रेड वेतन
- 9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें
 - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 - (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अविध

- (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम
- वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्तविवरण :
 कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-
 - (क) केन्द्रसरकार
 - (ख) राज्यसरकार
 - (ग) सवयत्तसंगठन
 - (घ) सरकारी उपक्रम
 - (ङ) विश्विद्यालय
- 11. क्य आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
- 12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलिह्धियां
- 13. अतिरिक्तसूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्ता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों । यदि स्थन अपर्याप्तहो तो अलग से शीट संलग्नकरें।
- 14. क्य अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति से संबंधित हैं।
- 15. अभ्यक्तियां

आवेदक के हस्तक्षर

दिनांक:

यह पुष्टि की जाती है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यपित कर ली गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्तक्षर और मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्सक्षर

<u>अनुलग्क-3</u>

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

(प्राधिकृत अधिकारी)

नाम और कार्यालय की मोहर

दिनांक :

अनुलग्क-4

शास्ति प्रमाण-पत्र

(प्राधिकृत अधिकारी)

नाम और कार्यालय की मोहर

दिनांक:

<u>अनुलग्क-5</u>

सत्मिष्ठ प्रमाण-पत्र

डा./श्री/श्रीमती/सृश्री......जिन्हेंने -----में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ------ के पद के लिए आवेदन किया है, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह प्रमाणितकिया जाता है कि उनकी सत्मिष्ठ में कोई संदेह नहीं है।

(उपसचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं) नाम और कार्यालय की मोहर

दिनांक :

No.A.12026/1/2017-E.III
Government of India
Ministry of Water Resources, River Development & Ganga
Rejuvenation

Applications are invited for filling up of the 01 (one) post of General Manager in the pay band-4 of Rs. 37400-67,000 plus grade pay of Rs. 10000/- (6th CPC Scale) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The General Manager, as Chief Executive Authority of the Board, shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Board. He shall prescribe and assign the duties of all officers and staff of the Board who are sub-ordinate to him and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary and shall co-ordinate the activities of various units under the Board. The General Manager shall also exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairman, as may be delegated to him by the Chairman and as may be determined by the regulations. The General Manager shall also exercise the powers and duties as prescribed under rule 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981 in matters pertaining to budget and allocation or reappropriation of grants.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognized Research Institutions or statutory organisations;

- (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Superintending Engineer in the Pay band- 4 with grade pay of Rs.8900 or Rs. 8700 with two years or three years regular service respectively in the

grade; and

Possessing the following educational qualifications and experience-

- (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University; and
- (ii) 15 years' experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects, Environment, Administration, Management; or
- (iii) 15 years' experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration; or
- (B) (i) All India Service officers holding the post in pay band -4 with grade pay of Rs.8900 with two years of regular service and having 15 years' experience; or (ii) All India Service officers holding the post in Pay band 4 with grade pay of Rs.8700 with three years regular service and having 15 years' experience.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.

- **5.** AGE: The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.
- **6.** The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.
- **7.** Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
- 8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
- 9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure-I to V** should reach to Shri A.K. Wahi, Under Secretary, Ministry of Water Resources, RD & GR, 4th Floor, Room No.428-A, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marq, New Delhi 110 001 **within 60**

<u>days</u> from the date of issue of this circular or publication of this advertisement in the Employment News whichever is later. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

- 10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma as given in **Annexure-2** (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance as given in **Annexure-3**(iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years as given in **Annexure-4** and (v) Integrity Certificate as given in **Annexure-5** and (vi) Cadre Clearance.
- 11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from the Ministry's website http://wrmin.nic.in.

(Anil Kumar Wahi) Under Secretary to the Government of India

Annexure-1

1. Name of Post :

General Manager, Brahmaputra

Board, a statutory body

1. Number of Posts

01 (one)

1. Classification

Group 'A', Non-Ministerial

1. Pay Band

Pay band-4 Rs.37,400 - 67,000 (6th

CPC Scale)

Grade Pay

Rs. 10000/- (6th CPC Scale)

1. Period of deputation

The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not

exceed five years.

Duties and responsibilities of the post

The General Manager, as Chief Executive Authority of the Board, shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Board. He shall prescribe and assign the duties of all officers and staff of the Board who are sub-ordinate to him and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary and shall coordinate the activities of various units under the Board. The General Manager shall also exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairman, as may be delegated to him by the Chairman and as may be determined by the regulations. The General Manager shall also exercise the powers and duties as prescribed under rule 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981 in matters pertaining to budget and allocation or re-appropriation of grants.

1. Pay & Allowances

: The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of

of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to

time).

 Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post

Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings recognized Research Institutions or statutory organisations; (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer Superintending Engineer in the Pay band- 4 with grade pay of Rs.8900 or Rs. 8700 with two years or three years regular service respectively in the grade; and Possessing the following educational qualifications

and experience- (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University; and (ii) 15 years' experience in the field Investigation, Planning, Design, Execution, Operation Maintenance of Water Resources Development Projects, Environment, Administration, Management; or (iii) 15 vears' experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration; or (B) (i) All India Service officers holding the post in pay band -4 with grade pay of Rs.8900 with two years of regular service and having 15 years' experience; or (ii) All India Service officers holding the post in Pay band - 4 with grade pay of Rs.8700 with three years regular service and having 15 years' experience.

Note 1.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from revised pay structure which the based on the 6th Central Pav Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in corresponding grade pay or pay extended based on scale recommendations of the Pay Commission.

Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract shall not exceed fifty

six years as on the closing date of receipt of applications.

Annexure-2

Bio Data Proforma

1. Name and address (in Block Letters):

Telephone Number:

- 1. Date of Birth (in Christian era):
- 2. Date of retirement under Central Government Rules:
- 3. Educational Qualifications:
- 4. Whether educational and other qualifications required for the

posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience Required	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Essential	
Desirable	

Please state clearly whether in the light of entries
made by you above, you meet the requirements of
the post.

1. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/Institution/	Post	From	То	Pay in the	Nature
 organisation 	held and service / cadre			pay band and classification of post	of duties
	to which it belongs				

- 1. Nature of present employment, i.e.,
 - (i) Ad-hoc basis
 - (ii) Regular / on temporary basis
 - (iii) Pay in the Pay Band
 - (iv) Grade Pay drawn
- 1. In case the present employment is held on deputation /

contract basis, please state:

- (a)The date of initial appointment
- (b)Period of appointment on deputation / contract
- (c)Name of the parent office/organisation to which you belong
- 1. Additional details about present employment. Please

state whether working under:

- (a)Central Government
- (b)State Government
- (c)Autonomous organisation
- (d)Government Undertaking
- (e)Universities
- 1. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the

Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale

- 1. Total emoluments per month now drawn:
- 2. Additional information, if any, which you would

like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.

- 1. Whether belonging to SC/ST
- 2. Remarks

Signature of the candidate

Date:

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

					Annex	ure-3
VIGILANC	E CLEA	RANCE	CERTI	ICAT	<u>'E</u>	
Certified that no vigila criminal proceedings is Dr./Shri/Smt./Ms	either	pendir	ng or co	ontem	plated a	igs or igainst
			the		post in	of the
on deputation basis.						
	Nam	ne & Of	(A fice Seal Date:		ised sign	atory)
					Annex	ure-4
NO P	ENALTY	CERT	IFICAT	E		
Certified that no minor/i last ten Dr./Shri/Smt./Ms	1		nas been years		sed durir	ng the on
who has app			the			of the
on deputation basis.						
	Nam	ie & Of	(A fice Seal		sed sign	atory)
					Annexi	ure-5
TNT	CDITY	CEDT	IFICATE		Zimexi	<u> </u>
After scrutinizi Dr./Shri/Smt./Ms	ng Ar	inuai 	Confide	ntial	Report	of

who has applied for the post of in the on deputation basis, it is certified that his/her integrity is beyond

doubt.

(To be signed by an officer of the rank of Deputy Secretary or above)

Name & Office Seal : Date: